विविध बैंक प्रकरण सं0 38/2017 (RCMS : 2017/00099) एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय बी–115, ओम शांति टॉवर, द्वितीय तल, हवा सडक, सिविल लाईन्स, जयपुर बनाम 1. श्री राकेश सिडाना पुत्र श्री नानकचंद सिडाना, प्रोपराईटर मैससै राकेश ट्रेडिंग कम्पनी निवासी 94 बी पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर एवं दुकान नं 76, पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर 2. श्रीमती संतोष सिडाना पत्नी श्री राकेश सिडाना निवासी 7–एफ–8, जवाहर नगर, इन्दिरा वाटिका के पास, श्रीगंगानगर

20.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री जलविन्द्र सिंह भंगू, अभिभाषक की पर्चा पैरवी पर श्री देवेन्द्र सिंह संधू, अधिवक्ता उपस्थित है। बहस पूर्व में दिनांक 04.02.2019 को सुनी जा चुकी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के विद्वान अभिभाषक का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 26.04.17 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी श्री राकेश सिडाना पुत्र श्री नानकचन्द सिडाना –प्रो. मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी को ऋण सुविधा के रूप में 1,50,00,000/– रूपये (अखरे रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) का ऋण दिनांक 05.05.2014 को स्वीकृत किया गया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री राकेश सिडाना की सम्पत्ति दुकान नम्बर 76 का उत्तरी हिस्सा, पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर (माप 126.312 वर्ग फीट) व श्री राकेश सिडाना एवं श्रीमती संतोष रानी की सम्पत्ति मकान नं. 7–एफ8, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर(माप 112.5 वर्ग मीटर) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। जिसमें उक्त बंधक रखी गई दोनों सम्पित्तियों में उनकी भूमि, भवन आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, सम्मिलित है। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.04.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनाँक 05.08.2016 को कुल 1,61,51,447/— रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया है।

अप्रार्थी ऋणी/जमानतदार को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 20.08.2016 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी/जमानतदार द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के प्रा0 पत्र के साथ अधिनियम की धारा 14 किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश किया है और प्रार्थना की है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त अचल सम्पति दुकान नम्बर 76 का उत्तरी हिस्सा, पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर (माप 126.312 वर्ग फीट) व मकान नं. 7—एफ8, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर(माप 112.5 वर्ग मीटर) में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी 1. श्री राकेश सिडाना पुत्र श्री नानकचन्द सिडाना —प्रो. मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी को ऋण सुविधा के रूप में 1,50,00,000/— (अखरे रूपये एक करोड़ पचास लाख रूपये) का ऋण स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री राकेश सिडाना की सम्पत्ति दुकान नम्बर 76 का उत्तरी हिस्सा, पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर (माप 126.312 वर्ग फीट) व श्री राकेश सिडाना एवं श्रीमती संतोष रानी की सम्पत्ति मकान नं. 7—एफ8, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर(माप 112.5 वर्ग मीटर) में स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

खाता दिनांक 29.04.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी एवं बंधककर्त्ता/जमानतदार जो उक्त सम्पत्तियों के स्वामी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 20.08.2016 को डाक द्वारा भिजवाये गये। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी की प्राप्ति की एडी एवं इसके अतिरिक्त बैंक के धारा 13(2) के नोटिस की चस्पांदगी रिपोर्ट एवं धारा 13(2) नोटिस के प्रकाशन की दिनांक 13.09.2016 के दो समाचार पत्रों 1. सीमा संदेश 2. दी इकोनोमिक्स टाईम्स की प्रस्तुत प्रतियां रिकॉर्ड में उपलब्ध है।

चूंकि धारा 13(2) के जारी नोटिसों की तामील के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी/जमानतदार द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई है। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ने धारा 13(2) के उत्तर में कोई भी आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने ऋण की सुरक्षा की एवज उक्त ऋणी फर्म की व जमानतदारों की बंधक रखी गई उक्त सम्पत्तियों का कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाये जाने के आदेश चाहे है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पतियाँ दुकान नम्बर 76 का उत्तरी हिस्सा, पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर (माप 126.312 वर्ग फीट) जो राकेश सिडाना के नाम से है एवं मकान नं. 7—एफ8, जवाहर नगर,

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर(माप 112.5 वर्ग मीटर) श्री राकेश सिडाना एवं श्रीमती संतोष रानी के नाम से है, पर **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14** के तहत कार्रवाई का प्रश्न है, उक्त दोनों सम्पत्तिया निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के **क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस दिनांक 20.08.2016 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 20.08.2016 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी ऋणी व जमानतदार 1. श्री राकेश सिडाना 2. संतोष सिडाना के नाम जारी रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप श्री राकेश सिडाना रजिस्टर्ड एडी पर प्राप्ति के हस्ताक्षर है और मकान एवं दुकान पर धारा 13(2) के नोटिस की चस्पांदगी की तामील एवं दिनांक 13.09.2016 को धारा 13(2) के नोटिस का दो समाचारों पत्रों सीमा संदेश एवं दी इकोनोमोक्सि टाईम्स में प्रकाशन करवाया है की मूल समाचार पत्रों की प्रतिया पत्रावली में उपलब्ध है। ऐसी दशा में ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2017 अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी एवं जमानतदार द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **अचल सम्पत्तियां ऋणी** श्री राकेश सिडाना की सम्पत्ति दुकान नम्बर 76 का उत्तरी हिस्सा, पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर (माप 126.312 वर्ग फीट) व श्री राकेश सिडाना एवं श्रीमती संतोष रानी की सम्पत्ति मकान नं. 7—एफ8,

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जवाहर नगर, श्रीगंगानगर(माप 112.5 वर्ग मीटर) **जिनमें उक्त सम्पत्तियों की भूमि, भवन ढांचा आदि जो की सभी सम्पत्तियों के अभिन्न अंग है, जो कि श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर